राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एस्टे/डीईएस/मंत्रा/अ.अ./115/E-91064

दिनांक 03-10-2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक कार्मिकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

क्र. स.	नाम कर्मचारी	प्रतियोगी परीक्षा,जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	राहुल सुथार	लाईब्रेरीयन भर्ती परीक्षा 2019, बी. लाइब्रेरीयन स्वामी विवेकानन्द सुभारती युनिवर्सिटी	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, तलवाड़ा, बॉसवाड़ा
2.	सौरभ कुमार अवस्थी	स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा (राजनीति विज्ञान) 2018–19	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, उनियारा, टोंक
3.	प्रकाश कुमार	एम.ए. अर्थशास्त्र (वीएमओयू, कोटा), प्रबंधक भर्ती परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2018,	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, आहोर, जालोर
4.	दिनेश सिंह राजपुरोहित	व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018, वरि. प्रबंधक व प्रबंधक (सहकारी बैंक) भर्ती परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2018	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जालोर
5.	सुनील कुमार	यू.जी.सी. नेट परीक्षा 2019, प्रादेशिक सेना अधिकारी परीक्षा 2019, एसएससी जुनियर/सीनियर हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा 2019, आई.बी.पी.एस. राजभाषा अधिकारी परीक्षा 2019–20, सी टेट परीक्षा 2019–20, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019–20	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
6.	राधेश्याम जाट	लवण निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2018, सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा 2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, शाहपुरा, जयपुर
7.	सुमन यादव	यू.जी.सी. नेट परीक्षा 2019, एम.ए. फाईनल भूगोल (वीएमओयू, कोटा) 2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, गोविन्दगढ़, जयपुर
8.	जयवीर सहारण	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान (वीएमओयू, कोटा) 2019–20	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, तारानगर, चुरु

नोट:– अग्रिम अध्ययन हेतु शर्ते निम्नानुसार है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नही की जाती है।

2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाऐगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
8. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणो से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोट करने हेतु।
2. संबंधित विभाग..
3. संबंधित कार्मिक श्री..
4. निजी/रक्षित पत्रावली

(सुभाष चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक (प्रशासन)